भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2556
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

2556. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा की संपरीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2020 से अब तक तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में गर्भवती महिलाओं के इलाज में लापरवाही और दुर्व्यवहार की हाल की रिपोर्ट की जानकारी है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सूचित किए गए हैं और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार का लेबर रूम मामलों में हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परिचर्या संकाय और सुविधाओं का पुनर्मूल्‍यांकन करने के लिए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में ऐसी समतामूलक, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है, जो लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हो। इसके मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-शिशु और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) और संचारी और गैर-संचारी रोग शामिल है।

एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर उनके संसाधनों की उपलब्धता के शर्ताधीन उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और मध्यम परिचर्या वाले जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए शुरू किया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में गुणवत्ता में सुधार के लिए एनक्यूएएस दिशानिर्देशों के अनुसार सभी संस्थानों का आंतरिक मूल्यांकन, राज्य मूल्यांकन (वर्ष में एक बार) और राष्ट्रीय मूल्यांकन (सुविधा केंद्र द्वारा राज्य मूल्यांकन में 70% और उससे अधिक प्राप्त करने पर वर्ष में एक बार) किया जाएगा।

वर्ष 2020 से आज की तारीख तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) के एनक्यूएएस और लक्ष्य प्रमाणन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

'लक्ष्य' एक गुणवत्ता सुधार पहल है, जिसे 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद परिचर्या की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के प्रयासों में तेजी लाना है। यह पहल शिशु जन्म के दौरान विशेष रूप से लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में प्रदान की जाने वाली परिचर्या पर केंद्रित है। यह सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और समकक्ष स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, सभी नामित एफआरयू और उच्च केस लोड वाले सीएचसी में शुरू किया गया है।

मुस्कान योजना वर्ष 2021 में जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित बाल-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने और नवजात शिशु मृत्यु दर और रुग्णता की रोकथाम में योगदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह बच्चों के अनुकूल सेवाओं को रोगियों और उनके माता-पिता के लिए सुलभ और उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ बच्चे के अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, स्तनपान को बढ़ावा देता है, रक्षा करता है और सहायता करता है, और मां / माता-पिता-परिचर को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक परिचर्या प्रदान करता है।

भारत सरकार ने प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की हैं:

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** के तहत बिना किसी लागत के सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है और सभी रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु को समाप्त करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु के लिए सेवाओं से इनकार करने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।
- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत ,प्रत्येक गर्भवती महिला मुफ्त परिवहन, निदान, औषधियों, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान के साथ जन स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की पात्र है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** के तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक निश्चित दिन, एक विशेषज्ञ / चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुफ्त सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान की जाती है।
- **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आईसीडीएस के अनुरूप पोषण सहित मातृ और शिशु परिचर्या के प्रावधान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक आउटरीच क्रियाकलाप है।
- **डिलीवरी पॉइंट्स-** व्यापक आरएमएनसीएएच + एन सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना, उपकरण और प्रशिक्षित जनशक्ति के संदर्भ में देश भर में 25,000 से अधिक 'डिलीवरी पॉइंट' को सुदृढ किया गया है।
- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेतों, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए **एमसीपी कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका** वितरित की जाती है।
- **प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल** गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एक नाम-आधारित वेब-सक्षम ट्रैकिंग सिस्टम है ताकि प्रसवपूर्व परिचर्या, संस्थागत प्रसव और प्रसवोत्तर परिचर्या सहित उन्हें नियमित और पूर्ण सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020 से अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के लिए सीएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनक्यूएएस के तहत मूल्यांकन किए गए सीएचसी	एनक्यूएएस के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित सीएचसी
1	आंध्र प्रदेश	12	10
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
4	असम	0	0
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	9	9
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	3
9	दिल्ली	0	0
10	गोवा	1	1
11	गुजरात	5	4
12	हरियाणा	5	5
13	हिमाचल प्रदेश	1	1
14	जम्मू एवं कश्मीर	1	1
15	झारखंड	0	0
16	कर्नाटक	20	11
17	केरल	7	7
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	2	1
21	महाराष्ट्र	0	0
22	मणिपुर	0	0
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	0	0
25	नगालैंड	0	0
26	ओडिशा	2	2
27	पुदुच्चेरी	0	0
28	पंजाब	4	4
29	राजस्थान	23	22
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	106	96
32	तेलंगाना	7	6
33	त्रिपुरा	0	0
34	उत्तर प्रदेश	35	29
35	उत्तराखंड	0	0
36	पश्चिम बंगाल	9	9
कुल		**252**	**221**

अनुलग्नक-II

2020 से अब तक सीएचसी का लेबर रूम गुणवत्ता सुधार पहल संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लक्ष्य)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लक्ष्य के तहत प्रमाणित लेबर रूम की संख्या	लक्ष्य के तहत प्रमाणित मैटरनिटी ओटी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9	7
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
4	असम	5	1
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	2	2
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव	1	1
10	गोवा	0	0
11	गुजरात	11	5
12	हरियाणा	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	2	2
15	झारखंड	0	0
16	कर्नाटक	11	10
17	केरल	0	0
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	15	2
21	महाराष्ट्र	2	2
22	मणिपुर	0	0
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	0	0
25	नगालैंड	0	0
26	ओडिशा	1	1
27	पुदुच्चेरी	0	0
28	पंजाब	1	1
29	राजस्थान	13	6
30	सिक्किम	0	0
31	तमिलनाडु	0	0
32	तेलंगाना	11	5
33	त्रिपुरा	0	0
34	उत्तर प्रदेश	7	7
35	उत्तराखंड	4	0
36	पश्चिम बंगाल	0	0
कुल		**93**	**52**

****